भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 79

23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना

***79. श्रीमती कमलेश जांगड़े:**

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की वर्तमान स्थिति/कार्य-निष्पादन क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौराक्या है;

(ख) इसके अंतर्गत अब तक कुल कितना निवेश आकर्षित किया गया है, कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ है और कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है;

(ग) छत्तीसगढ़ सहित देश में मेगा फूड पार्कों के विकास और प्रचालन तथा संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि मूल्य श्रृंखला, किसानों की आय में वृद्धि और खाद्य बर्बादी को कम करने में उनके योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने, उनकी ब्रांडिंग, गुणवत्ता मानकों के उन्नयन, मूल्यवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में नए मेगा पार्क की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 23 जुलाई 2026 को उत्तर हेतु "उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना" के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या *79 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए ₹10,900 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) लागू कर रहा है। यह योजना पात्र वृद्धिशील बिक्री की उपलब्धि पर प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है और इसका उद्देश्य घरेलू प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, वैश्विक खाद्य विनिर्माण दिग्गजों के निर्माण में सहायता करना, विदेशी बाजारों में भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 127 कंपनियों के कुल 163 आवेदन शामिल हैं, जिनमें 69 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। इसमें स्वीकृत परियोजनाएं 22 राज्यों और 212 स्थानों में फैली हुई हैं। जून 2026 तक ₹3,271.44 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना ने खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार, बिक्री और निर्यात में वृद्धि, निवेश जुटाने और रोजगार सृजन में योगदान दिया है। योजना के अंतर्गत किए गए निवेशों के परिणामस्वरूप 34 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण हुआ है।

पीएलआईएसएफ़पीआई के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों ने ₹7,722 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश के मुकाबले ₹9,207 करोड़ का निवेश किया है और 2.50 लाख के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 3.35 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। पीएलआई -सहायता प्राप्त उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2019-20 में ₹58,758 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹1,08,854 करोड़ हो गई है।

(ग) मंत्रालय ने वर्ष 2008 से अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक घटक योजना के रूप में मेगा फूड पार्क योजना को लागू किया। इस योजना ने प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, सामान्य प्रसंस्करण और सक्षम करने वाली अवसंरचना के निर्माण के लिए क्लस्टर-आधारित हब-एंड-स्पोक दृष्टिकोण अपनाया। मेगा फूड पार्क योजना दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई है, जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित 25 राज्यों में कुल 41 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 25 चालू हैं। इन परियोजनाओं से 28.56 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) की परिरक्षण क्षमता और 15.41 एलएमटीपीए की प्रसंस्करण क्षमता बनने की उम्मीद है। अब तक, 86,881 किसानों को लाभ हुआ है और लगभग 1,02,440 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। छत्तीसगढ़ में, रायपुर ज़िले में स्थित इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड चालू है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों के बीच संबंधों को समर्थन देता है और प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा मूल्यवर्धन को सुगम बनाता है।

(घ). पीएलआईएसएफ़पीआई के अंतर्गत, सरकार 'ब्रांडिंग और मार्केटिंग' घटक के माध्यम से विदेशों में भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात और ब्रांडिंग को बढ़ावा देती है। इसमें स्वीकृत आवेदकों को विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर हुए पात्र व्यय का 50% वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या ₹50 करोड़ प्रति वर्ष, जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पीएलआईएसएफ़पीआई पात्र वृद्धिशील बिक्री पर प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से घरेलू प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को भी बढ़ावा देता है। स्वीकृत आवेदकों द्वारा किए गए निवेशों ने प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और आधुनिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान की है। अभिनव और जैविक खाद्य उत्पादों में लगे लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए योजना के अंतर्गत एक अलग श्रेणी भी प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफ़एमई) योजना भी लागू कर रहा है। पीएमएफ़एमई योजना एक मांग-आधारित योजना है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, ऋण सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाजार संबंधों के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी (प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख) के माध्यम से नए उद्यमों की स्थापना और मौजूदा उद्यमों का उन्नयन, आधुनिक प्रसंस्करण, परीक्षण, पैकेजिंग और भंडारण अवसंरचना के साथ साझा अवसंरचना और साझा इनक्यूबेशन केंद्रों (सीआईसी) की स्थापना की सहायता करती है, और सामान्य ब्रांडों, पैकेजिंग, लेबलिंग और गुणवत्ता मानकीकरण के विकास के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% तक ब्रांडिंग और विपणन सहायता प्रदान करती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने और निर्यात तत्परता में सुधार करने के लिए, यह योजना निफ़्टम और राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

(ङ). मेगा फ़ूड पार्क योजना दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई है, जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने का प्रावधान है। इसलिए, पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में नए मेगा फ़ूड पार्क स्थापित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, पूर्वोत्तर राज्यों में सात मेगा फ़ूड पार्क परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, जो इस प्रकार हैं:

क्र. सं .	**राज्य**	**परियोजना स्थान**
1	अरूणाचल प्रदेश	पापुम पारे
2	असम	नलबाड़ी
3	मणिपुर	थौबल
4	मेघालय	उत्तरी गारो हिल्स
5	मिजोरम	कोलासिब
6	नागालैंड	दीमापुर
7	त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा